



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263560
CG-DL-E-03062025-263560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2400]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2025/ज्येष्ठ 12, 1947

No. 2400]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2025/JYAISTHA 12, 1947

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2025

का.आ. 2459 (अ).— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा डिजिटल न्यायिक विज्ञान में उत्कृष्टता केंद्र (सीओईडीएफ), छठी मंजिल, ब्लॉक के, न्यू इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय, सेक्टर 9, गांधीनगर-382007, गुजरात को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थातः

(क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायिक विज्ञान

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायिक विज्ञान

उपरोक्त अधिसूचना के साथ, पूर्व में प्रकाशित दिनांक 8 अगस्त, 2023 की गजट अधिसूचना संख्या 3390, असाधारण, भाग II- खंड 3-उप खंड (ii), को केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किया जाता है।

[फा. सं. 2(2)/2022-सीएसडी]

कृष्ण कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2025

S.O. 2459 (E).— In exercise of the powers conferred by section 79A of the Information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies **Centre of Excellence in Digital Forensics (CoEDF), 6th Floor, Block K, New International Training Centre Building, National Forensics Sciences University, Sector 9, Gandhinagar-382007, Gujarat** as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:

- (a) Computer (Media) Forensics
- (b) Mobile Devices Forensics.

With aforesaid notification, earlier published gazette notification No. 3390 dated 08.08.2023, Extraordinary, Part II- Section 3 - Sub-section (ii), is rescinded by central Government.

[F. No. 2 (2)/2022-CSD]

KRISHAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.